संख्या-12/2016/वे0आ0-2-117/दस-16-08(मु0स0स0)/2011टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 29 फरवरी, 2016

विषय- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के दृष्टिमितिज्ञ सवंर्ग की वेतन विसंगति से सम्बन्धित मुख्य सचिव समिति को संदर्भित प्रकरण पर समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के दृष्टिमितिज्ञ सवंर्ग की वेतन विसंगति से सम्बन्धित प्रकरण मुख्य सचिव समिति को संदर्भित हुआ। उक्त प्रक-रण पर विचार किये जाने हेतु दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 को मुख्य सचिव समिति की बैठक सम्पन्न हुई।

2- मुख्य सचिव समिति की उपर्युक्त बैठक दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 का कार्यवृत संलग्न कर प्रेषित है। कृपया अवगत होना चाहें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
अजय अग्रवाल
सचिव।

संख्या-12/2016/वे0आ0-2-117(1)/दस-16-08(मु0स0स0)/2011टी0सी0,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1
(2) कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

आज्ञा से,
रमेश कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

मुख्य सचिव समिति की दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 को सम्पन्न उपर्युक्त बैठक में निम्न अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया :—

(i) श्री राहुल भटनागर, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग — सदस्य

(ii) श्री राजीव कुमार, प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग — सदस्य

(iii) श्री अरविन्द कुमार, प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग — सदस्य

(iv) श्री अजय अग्रवाल, सचिव, वित्त विभाग —सदस्य सचिव

2— मुख्य सचिव समिति की बैठक हेतु निर्धारित ऐजेन्डा के अनुसार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के आप्टोमेट्रिस्ट (दृष्टिमितिज्ञ) सवंर्ग की वेतन विसंगति से सम्बन्धित विषय को समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

3— उक्त के सम्बन्ध में बैठक में मुख्य सचिव समिति को निम्नवत अवगत कराया गया :—

(1) पूर्व में आप्टोमेट्रिस्ट संवर्ग में आप्टोमेट्रिस्ट(नेत्र सहायक) पदनाम से निर्धारित एकल स्तरीय ढ़ॉचे में कुल 931 पद उपलब्ध थे । आप्टोमेट्रिस्ट (दृष्टिमितिज्ञ) के पदों के पुनर्गठन से सम्बन्धित चिकित्सा अनुभाग–7 के शासनादेश संख्या–920/5–7–2009–सोलह–1036/96, दिनांक 25 मई, 2009 द्वारा आप्टोमेट्रिस्ट संवर्ग का ढॉचा निम्नानुसार निर्धारित किया गया :—

क्र0 स0	पदनाम/ पूर्व वेतनमान(रु0)/ पद संख्या	पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन (रु0)	सेवा अवधि (वर्षो में)	तैनाती स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	दृष्टिमितिज्ञ/ 4500–7000/726	वेतन बैण्ड–1 एवं 2800/–	08	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
	वरिष्ठ दृष्टिमितिज्ञ/ 5000–8000/125	वेतन बैण्ड–2 एवं 4200/–	14	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
	मुख्य दृष्टिमितिज्ञ/ 5500–9000/68	वेतन बैण्ड–2 एवं 4200/–	18	जिला स्वास्थ्य केन्द्र
	प्रभारी दृष्टिमितिज्ञ/ 6500–10500/14	वेतन बैण्ड–2 एवं 4600/–	22	मण्डलीय स्वास्थ्य केन्द्र

(2) आप्टोमेट्रिस्ट के पद पर फिजियोथेरेपिस्ट के समान

वेतनमान अनुमन्य कराये जाने की मॉग पर वेतन समिति (2008) द्वारा यह अभिमत व्यक्त किया गया कि आप्टोमेट्रिस्ट के कार्य एवं उत्तरदायित्व फिजियोथेरेपिस्ट के समान नहीं है। इसके अतिरिक्त पूर्व में कभी भी आप्टोमेट्रिस्ट के पद पर फिजियाथेरेपिस्ट के समान वेतनमान अनुमन्य नहीं रहा है। उक्त परिदृश्य में आप्टोमेट्रिस्ट के पद पर फिजियोथेरेपिस्ट के समान वेतनमान अनुमन्य कराये जाने का औचित्य नहीं है।

परन्तु इस तथ्य को दृष्टिगत रखतें हुए कि नेत्र सहायक पद केन्द्र में उपलब्ध नहीं है और प्रदेश में आप्टोमेट्रिस्ट के पद से निम्न वेतनमान में रहे पदों (एक्सरे टेक्नीशियन तथा फार्मासिस्ट आदि) पर केन्द्रीय समकक्षता के आधार पर नेत्र सहायक के पद से उच्च वेतनमान रु0 5000–8000 (सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4200/–) अनुमन्य हो रहा है, समिति द्वारा आप्टोमेट्रिस्ट के पद पर उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4200/– अनुमन्य कराये जाने की संस्तुति की गयी।

आप्टोमेट्रिस्ट के पद पर उच्चीकृत/संशोधित ग्रेड वेतन रू0 4200/– अनुमन्य कराने सम्बन्धी संस्तुति को स्वीकार करने का औचित्य नहीं पाया गया।

(3) राजकीय आप्टोमेट्रिस्ट एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन दिनांक 23 जनवरी, 2014 द्वारा आप्टोमेट्रिस्ट के पद पर फिजियोथेरेपिस्ट, डेन्टल हाईजीनिस्ट तथा एक्सरे टेक्नीशियन से समानता के आधार पर तथा वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के अनुसार उच्चीकृत/संशोधित ग्रेड वेतन रू0 4200/– निर्धारित करने की मांग की गयी। उक्त मॉगों पर मुख्य सचिव समिति की बैठक दिनांक 14 जुलाई, 2014 में विचार किया गया। उक्त बैठक में विचार विमर्श के उपरान्त मुख्य सचिव समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर निम्न निर्णय लिये गये :–

(i) विचारोपरान्त वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के सम्बन्ध में शासन द्वारा लिये गये सुविचारित निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए वेतन समिति

(2008) की संस्तुतियों के अनुसार वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य कराये जाने का औचित्य नहीं है।

(ii) नेत्र उपरीक्षण अधिकारी संवर्ग के ढॉचे में उपलब्ध मुख्य नेत्र परीक्षण अधिकारी के पद पर वर्तमान में अनुमन्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200 के स्थान पर तत्काल प्रभाव से उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/– अनुमन्य कराया जाय। साथ ही प्रभारी नेत्र परीक्षण अधिकारी के पद पर वर्तमान में अनुमन्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/– के स्थान पर तत्काल प्रभाव से उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4800/– अनुमन्य कराया जाय।

(iii) नेत्र परीक्षण अधिकारी के पद पर वर्तमान में निर्धारित वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800/– तथा वरिष्ठ नेत्र परीक्षण अधिकारी के पद पर वर्तमान में निर्धारित वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/– को यथावत् बनाये रखा जाय।

(4) उक्त के उपरान्त राजकीय आप्टोमेट्रिस्ट एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश द्वारा पुनः रिजवी कमेटी, वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के अनुरुप आप्टोमेट्रिस्ट संवर्ग के प्रथम स्तर के पद पर वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4200/– अनुमन्य कराने की मॉग की गयी है। उक्त प्रकरण मुख्य सचिव समिति की बैठक दिनांक 18 मार्च, 2015 में विचारार्थ रखा गया है। मुख्य सचिव समिति द्वारा दृष्टिमितिज्ञ (आप्टोमेट्रिस्ट)/परिवर्तित नाम नेत्र परीक्षण अधिकारी के पद पर अनुमन्य वेतन बैण्ड–1 एवं रु0 2800/– के स्थान पर उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड–2 एवं रु0 4200/– अनुमन्य कराये जाने के विषय पर संस्तुति नहीं दी गयी।

(5) वर्तमान में चिकित्सा अनुभाग–7 की पत्रावली संख्या–सोलह–1087/98 द्वारा दृष्टिमितिज्ञ (आप्टोमेट्रिस्ट)/परिवर्तित नाम नेत्र परीक्षण अधिकारी संवर्ग की वेतन विसंगति का प्रकरण वित्त विभाग को संदर्भित किया गया

है। उक्त पत्रावली में निम्नवत् अवगत कराया गया :—

(i) महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उत्तर प्रदेश के पत्रांक–30फ0/आ0से0/2015/551, दिनांक 04 सितम्बर, 2015 के अनुसार वर्तमान में दृष्टिमितिज्ञ (आप्टोमेट्रिस्ट)/परिवर्तित नाम नेत्र परीक्षण अधिकारी संवर्ग में कुल 947 पद स्वीकृत हैं, जिसके सापेक्ष 921 कार्मिक कार्यरत एवं 26 पद रिक्त हैं। नेत्र परीक्षण अधिकारी के 742 पदों के सापेक्ष 737 पद, वरिष्ठ नेत्र परीक्षण अधिकारी के 125 पदों के सापेक्ष 121, मुख्य नेत्र परीक्षण अधिकारी के 66 पदों के सापेक्ष 52 पद तथा प्रभारी नेत्र परीक्षण अधिकारी के 14 पदों के सापेक्ष 11 पद भरे हुये हैं।

(ii) राजकीय आप्टोमेट्रिस्ट संवर्ग की वर्तमान समय में यह मांग है कि डेन्टल हाईजीनिस्ट तथा एक्सरे टैक्नीनिशयन के पद पर भर्ती हेतु शैक्षिक अर्हता इण्टरमीडिएट विज्ञान वर्ग एवं 02 वर्षीय डिप्लोमा निर्धारित है। उक्त पदों की अर्हता आप्टोमेट्रिस्ट के पद पर निर्धारित अर्हता {इण्टरमीडिएट साइंस एवं नेत्र विज्ञान (आथ्योमालोजी), दृष्टिमिती(आप्टोमीट्री) अपवर्तन (रिफेक्शन) में डिप्लोमा या प्रमाण पत्र} के समान है। डेन्टल हाईजीनिस्ट तथा एक्सरे टैक्नीनिशयन के पदों पर वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4200/– अनुमन्य कराया गया है। अतः राजकीय आप्टोमेट्रिस्ट संवर्ग को उनकी शैक्षिक योग्यता व तकनीकी योग्यता/डिप्लोमा अवधि को ध्यान में रखते हुये आप्टोमेट्रिस्ट के पद पर वर्तमान में अनुमन्य वेतनमान रू0 4500–7000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800/–) के स्थान पर उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान रू0 5000–8000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/–) अनुमन्य कराया जाय।

उक्त मांग के सम्बन्ध में आप्टोमेट्रिस्ट संवर्ग का तर्क यह है कि पैरामेडिकल संवर्ग के अन्य कार्मिकों यथा डेन्टल हाइजेनिस्ट एवं एक्सरे टेक्नीशियन को उक्त लाभ अनुमन्य कराया जा चुका है, जिनके पद के लिये निर्धारित शैक्षिक अर्हता एवं डिप्लोमा अवधि उनके पद(आप्टोमेट्रिस्ट) के समान है। उक्त स्थिति में आप्टोमेट्रिस्ट (नेत्र परीक्षण अधिकारी) संवर्ग के पदों पर निम्नानुसार संशोधित/उच्चीकृत वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य कराये जाने की मांग की गयी है :—

क0 सं0	पदनाम	वर्तमान वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन(रू0 में)	संशोधित/उच्चीकृत वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन (रू0)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	नेत्र परीक्षण अधिकारी	वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन 2800/–	वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन 4200/–)
2.	वरिष्ठ नेत्र परीक्षण अधिकारी	वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन 4200/–	वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन 4600/–
3.	मुख्य नेत्र परीक्षण अधिकारी	वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन 4600/–	वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन 4800/–
4.	प्रभारी नेत्र परीक्षण अधिकारी	वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन 4800/–	वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन 5400/–

यदि समस्त कार्मिकों को राजकीय आप्टोमेट्रिस्ट एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश की मांग के अनुसार ग्रेड पे अनुमन्य कराया जाता है तो अनुमानित व्ययभार रू0 35 लाख प्रतिवर्ष आने की सम्भावना है।

(6) बैठक में विभाग द्वारा यह प्रस्ताव किया गया कि विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु निर्धारित अर्हता के आधार पर वेतनमान का निर्धारण किया जाना चाहिए। अन्य पदों (फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन तथा डेन्टल हाईजीनिस्ट) की अर्हता आप्टोमेट्रिस्ट के पद हेतु निर्धारित अर्हता के समान है। अतः आप्टोमेट्रिस्ट के पद पर निर्धारित अर्हता के आधार पर वेतनमान संशोधन पर विचार किया जाना अपेक्षित है।

(7) वर्तमान में प्रस्तुत मॉग/प्रस्ताव के सम्बन्ध में तथ्यात्मक स्थिति निम्नवत् है :—

(i) राजकीय आप्टोमेट्रिस्ट एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश के पद पर एक्सरे टेक्नीशियन तथा डेन्टल हाईजीनिस्ट से समानता के आधार पर उच्च वेतनमान अनुमन्य कराने की मॉग की गयी है। इस मॉग के सम्बन्ध में मुख्य सचिव समिति की दिनांक 13 जनवरी, 2014 को आयोजित बैठक में आप्टोमेट्रिस्ट (नेत्र परीक्षण अधिकारी) के पद पर एक्सरे टेक्नीशियन तथा डेन्टल हाईजीनिस्ट से समानता के आधार पर उच्च वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में विचार किया गया था। आप्टोमेट्रिस्ट तथा उक्त पदों पर दिनांक 01 जुलाई, 1979 से समय समय पर निर्धारित वेतनमान/सादृश्य ग्रेड वेतन का विवरण निम्नवत है :—

क0 सं0	प्रभावी तिथि	आप्टोमेट्रिस्ट	एक्सरे टेक्नीशियन	डेन्टल हाईजीनिस्ट
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
1	01–07–1979	470–735	430–685	400–615
2	01–01–1986	1350–2200*	(i)1200–2040* (ii)1350–2200**	(i) 975–1660* (ii)1200–2040**
3	01–01–1996	4500–7000*	4500–7000*	4000–6000*
4	01–01–2006 सादृश्य ग्रेड वेतन	ग्रे0पे0 2800*	ग्रे0पे0 2800*	ग्रे0वे0 2400*
5	01 जनवरी, 06 से काल्पनिक 01 दिसम्बर, 08 से वास्तविक	—	वे0बै0–2 एवं ग्रे0पे0 रू0 4200**	वे0बै0–2 एवं ग्रे0पे0 रू0 4200**

* सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान/ग्रेड वेतन।

** भारत सरकार से समकक्षता के आधार पर उच्चीकृत वेतनमान/ग्रेड वेतन स्वीकृत किया गया।

(ii) उक्त विवरण से स्पष्ट है कि एक्सरे टेक्नीशियन तथा डेन्टल हाईजीनिस्ट के पद पर उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान/ग्रेड वेतन केन्द्रीय समकक्षता के आधार पर अनुमन्य कराये गये है। आप्टोमेट्रिस्ट का पद केन्द्र में उपलब्ध न होने के कारण प्रदेश में दृष्टिमितिज्ञ (आप्टोमेट्रिस्ट)/ परिवर्तित नाम नेत्र परीक्षण अधिकारी के पद पर केन्द्रीय समकक्षता

निर्धारित नहीं हो सकी। फलस्वरूप एक्सरे टेक्नीशियन तथा डेन्टल हाईजीनिस्ट से तुलना के आधार पर आप्टोमेट्रिस्ट के पद पर उच्चीकृत वेतनमान/ग्रेड वेतन अनुमन्य कराये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।

तत्समय नेत्र परीक्षण अधिकारी संवर्ग के ढ़ाँचे में उपलब्ध वरिष्ठ नेत्र परीक्षण अधिकारी तथा मुख्य नेत्र परीक्षण अधिकारी के पद पर एक समान वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200 अनुमन्य होने की विसंगति का निराकरण करते हुए मुख्य नेत्र परीक्षण अधिकारी के पद पर अनुमन्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200 के स्थान पर तत्काल प्रभाव से उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/– अनुमन्य कराया गया। साथ ही प्रभारी नेत्र परीक्षण अधिकारी के पद पर वर्तमान में अनुमन्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/– के स्थान पर तत्काल प्रभाव से उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4800/– अनुमन्य कराया गया।

(8) फार्मासिस्ट संवर्ग में फार्मासिस्ट के पद पर इण्टरमीडिएट (विज्ञान) तथा स्टेट मेडिकल फैकल्टी उ0प्र0 द्वारा प्रदत्त 2 वर्ष 3 माह की अवधि का फार्मेसी में डिप्लोमा एवं स्टेट फार्मेसी काउन्सिल उ0प्र0 में पंजीकृत होने की अर्हता निर्धारित है। साथ ही लैब टेक्नीशियन संवर्ग में लैब टेक्नीशियन के पद पर इण्टरमीडिएट (विज्ञान) तथा स्टेट मेडिकल फैकल्टी/ महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा प्रदत्त प्रयोगशाला तकनीशियन का डेढ़ वर्षीय प्रमाण–पत्र/डिप्लोमा की अर्हता निर्धारित है। उक्त पदों पर निर्धारित ग्रेड वेतन रू0 2800/– के स्थान पर उच्चीकृत/ संशोधित ग्रेड वेतन रू0 4200/–अनुमन्य कराये जाने की मॉग की जा रही है। उक्त मॉग पर इस समिति द्वारा विचारोपरान्त मॉग के अनुसार ग्रेड वेतन रू0 4200/– अनुमन्य कराये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।

(9) पद की अर्हता के आधार पर वेतनमान निर्धारित करने के विभाग द्वारा किये गये प्रस्ताव के सम्बन्ध में

उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ सांख्यिकीय संवर्ग के प्रथम स्तर के पद पर निर्धारित अर्हता के आधार पर उच्चीकृत वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य कराये जाने की माँग की जा रही है। इसके अतिरिक्त लैब टेक्नीशियन के पद पर उच्च अर्हता निर्धारित करते हुए उच्चीकृत वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य कराये जाने की माँग की जा रही है।

(10) उक्त के सम्बन्ध में इंगित करना है कि केन्द्रीय कर्मचारियों के सम्बन्ध में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट केन्द्र सरकार को प्रस्तुत की जा चुकी है। सातॅवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियॉ दिनांक 01 जनवरी, 2016 से लागू होने की सम्भावना है। केन्द्र सरकार द्वारा उक्त आयोग की संस्तुतियों पर निर्णय लिये जाने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा भी अपने कार्मिकों के वेतनमान, भत्ते एवं सुविधाओं के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में यथा आवश्यकता विचार किया जायेगा।

(11) सांख्यिकीय संवर्ग तथा लैब टेक्नीशियन संवर्ग के पदों पर अर्हता के आधार पर उच्चीकृत वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन निर्धारित करने के सम्बन्ध में प्रकरण प्रदेश में गठित की जाने वाली वेतन समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने का अभिमत स्थिर हुआ है। उक्त परिदृश्य में दृष्टिमितिज्ञ (आप्टोमेट्रिस्ट)/परिगर्तित नाम नेत्र परीक्षण अधिकारी के पद पर निर्धारित अर्हता के आधार पर वेतनमान संशोधन से सम्बन्धित प्रकरण भी प्रदेश में गठित की जाने वाली अगली वेतन समिति के विचारार्थ संदर्भित किया जा सकता है।

<u>समिति द्वारा की गयी संवीक्षा</u>

4— उक्त प्रकरण पर विचार विमर्श के आधार पर समिति द्वारा की गयी संवीक्षा निम्नवत् है :—

(1) वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार आप्टोमेट्रिस्ट संवर्ग के प्रथम स्तर के पद पर अनुमन्य वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रु0 2800/– को यथावत् बनाये रखा गया और उक्त पद पर उच्चीकृत/ संशोधित वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4200/– अनुमन्य नहीं कराया गया।

(2) दृष्टिमितिज्ञ (आप्टोमेट्रिस्ट)/परिवर्तित नाम नेत्र परीक्षण अधिकारी की वेतन विसंगति से सम्बन्धित प्रकरण पूर्व में इस समिति को संदर्भित हुआ था। उक्त प्रकरण पर विचारोपरान्त यह तथ्य सामने आया कि एक्सरे टेक्नीशियन तथा डेन्टल हाईजीनिस्ट के पदों पर उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4200/– केन्द्रीय समकक्षता के आधार पर अनुमन्य कराये गये है। दृष्टिमितिज्ञ (आप्टोमेट्रिस्ट) के पद केन्द्र में उपलब्ध न होने के कारण उक्त पद पर केन्द्रीय समकक्षता निर्धारित नहीं हो सकी। उक्त तथ्य के दृष्टिगत इस समिति द्वारा दृष्टिमितिज्ञ (आप्टोमेट्रिस्ट) के पद पर एक्सरे टेक्नीशियन एवं डेन्टल हाईजीनिस्ट के समान उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4200/– अनुमन्य कराये जाने का औचित्य नहीं पाया गया। दृष्टिमितिज्ञ (आप्टोमेट्रिस्ट)/परिवर्तित नाम नेत्र परीक्षण अधिकारी के पद पर अनुमन्य ग्रेड वेतन रु0 2800/– को यथावत् बनाये रखा गया।

परन्तु नेत्र परीक्षण अधिकारी संवर्ग के ढ़ाँचे में उपलब्ध वरिष्ठ नेत्र परीक्षण अधिकारी तथा मुख्य नेत्र परीक्षण अधिकारी के पद पर एक समान वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200 अनुमन्य होने की विसंगति का निराकरण करते हुए मुख्य नेत्र परीक्षण अधिकारी के पद पर अनुमन्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200 के स्थान पर तत्काल प्रभाव से उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/– अनुमन्य कराया गया। साथ ही प्रभारी नेत्र परीक्षण अधिकारी के पद पर वर्तमान में अनुमन्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/– के स्थान पर तत्काल प्रभाव से उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4800/– अनुमन्य कराया गया।

(3) वर्तमान में नेत्र परीक्षण अधिकारी संवर्ग के विभिन्न पदों पर निर्धारित वेतनमान में कोई विसंगति दृष्टिगोचर नहीं है।

(4) उक्त परिदृश्य में नेत्र परीक्षण अधिकारी संवर्ग के पदों पर माँग/प्रस्ताव के अनुसार उच्चीकृत/संशोधित

वेतन बैण्ड और ग्रेड वेतन अनुमन्य कराये जाने का अवसर नहीं है।

(5) केन्द्रीय कर्मचारियों के सम्बन्ध में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट केन्द्र सरकार को प्रस्तुत की जा चुकी है। सातॅवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियॉ दिनांक 01 जनवरी, 2016 से लागू होने की सम्भावना है। केन्द्र सरकार द्वारा उक्त आयोग की संस्तुतियों पर निर्णय लिये जाने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा भी अपने कार्मिकों के वेतनमान, भत्तें एवं सुविधाओं के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में यथा आवश्यकता विचार किया जायेगा।

(6) नेत्र परीक्षण अधिकारी के पद की अर्हता के आधार पर वेतनमान निर्धारित करने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में सभी दृष्टिकोण से गहन परीक्षण किया जाना अपेक्षित है। अतः उक्त प्रकरण पर राज्य सरकार द्वारा सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के संदर्भ में अपने कार्मिकों के वेतनमान, भत्ते एवं सुविधाओं के पुनरीक्षण हेतु गठित की जाने वाली अगली समिति के विचारार्थ संदर्भित किया जाना उपयुक्त होगा।

समिति की संस्तुतियॉ

5— उक्त परिदृश्य में सम्यक् विचारोपरान्त समिति की संस्तुतियॉ निम्नवत् है :—

(1) दृष्टिमितिज्ञ (आप्टोमेट्रिस्ट)/परिवर्तित नाम नेत्र परीक्षण अधिकारी के पद पर एक्सरे टेक्नीशियन तथा डेन्टल हाईजीनिस्ट से समानता के आधार पर उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4200/– अनुमन्य कराये जाने का औचित्य नहीं है। दृष्टिमितिज्ञ (आप्टोमेट्रिस्ट)/परिवर्तित नाम नेत्र परीक्षण अधिकारी के पद पर अनुमन्य ग्रेड वेतन रु0 2800/– को यथावत् बनाये रखा जाय।

(2) केन्द्रीय कर्मचारियों के सम्बन्ध में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट केन्द्र सरकार को प्रस्तुत की जा चुकी है। सातॅवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियॉ दिनांक 01 जनवरी, 2016 से लागू होने की सम्भावना है। केन्द्र सरकार द्वारा उक्त आयोग की

संस्तुतियों पर निर्णय लिये जाने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा भी अपने कार्मिकों के वेतनमान, भत्ते एवं सुविधाओं के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में यथा आवश्यकता विचार किया जायेगा।

(3) नेत्र परीक्षण अधिकारी के पद की अर्हता के आधार पर वेतनमान निर्धारित करने के प्रस्ताव से सम्बन्धित प्रकरण सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के सम्बन्ध में प्रदेश में गठित की जाने वाली अगली वेतन समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

(राहुल भटनागर)
सदस्य।

(राजीव कुमार)
सदस्य

(अरविन्द कुमार)
सदस्य

(अजय अग्रवाल)
सदस्य सचिव।

(आलोक रंजन)
अध्यक्ष।

दिनांकः 17 दिसम्बर, 2015।